

‘खेती के साथ किसान भी वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन कर रोजगार दे सकते हैं’

बीकानेर, (कासं)। वैज्ञानिक तरीकों से भेड़ एवं बकरी पालन के माध्यम से उद्यमिता विकास के संबंध में देशभर से उद्यमिता विकास के संबंध में देशभर से आये 87 किसानों तथा पशुपालकों को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया।

कृषि महाविद्यालय बीकानेर एवं कृषि विज्ञान केन्द्र बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए गए सात दिवसीय प्रशिक्षण में किसानों और पशुपालकों को भेड़ एवं बकरी पालन के वैज्ञानिक तरीके, पोषण, प्रबंधन, नियमित टीकाकरण के बारे में विस्तार से बताया गया।



वैज्ञानिक तरीकों से भेड़ एवं बकरी पालन के सात दिवसीय प्रशिक्षण में किसानों एवं पशुपालकों को अनुसंधान निदेशक डॉ. एन. के. शर्मा ने प्रमाण पत्र वितरित किए।

वहीं उद्यमिता व स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने हेतु विभिन्न फार्मों का भ्रमण, हैण्डस आन ट्रेनिंग, विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का समापन सोमवार को विश्वविद्यालय के आई.ए.बी. एम. सभागार में हुआ। समारोह में अनुसंधान निदेशक डॉ. एन. के. शर्मा ने कहा कि किसानों और पशुपालकों को आय बढ़ाने के लिए समन्वित कृषि की तरफ जाना होगा। खेती के साथ वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन अपना कर किसान पशुपालक अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं।

अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय डॉ. विजय प्रकाश ने किसानों को मिलकर सहभागिता मांडल पर काम करने एवं भेड़ बकरी पालन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पशुपालन में तकनीक हस्तांतरण वर्तमान की आवश्यकता है।

इस प्रशिक्षण से किसान पशुपालक निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकेंगे। प्रशिक्षण में जम्मू, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसानों ने भागीदारी निभाई तथा अपने अनुभव साझा किए। प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. शंकरलाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा गत 14 महीनों में इस संबंध में सात प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करने की अपील की। डॉ. कुलदीप प्रकाश शिंदे ने आभार व्यक्त किया। डॉ. शंकरलाल ने बताया कि प्रशिक्षण में किसानों को विश्वविद्यालय स्थित समन्वित कृषि प्रणाली इकाई में सिरोही बकरी पालन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर में मगार,

चोकला, मारवाडी भेड़ों की नस्लों के फार्मों, राजुवास बीकानेर के विभिन्न फार्मों का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान विभिन्न नस्लों से परिचित करवाते हुए वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन की जानकारी दी गई है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (इज्जतनगर) की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

छात्रा का नहीं हुआ पोस्टमॉर्टम, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन

बीकानेर, (कासं)। आठवीं बोर्ड की परीक्षा देने घर से निकली 13 वर्षीय छात्रा के हत्याकांड का कोई सुराग नहीं लगा है। परिजन और ग्रामीण हॉस्पिटल में घरे पर बैठे। अभी तक शव का पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया है। गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं।

■ बज्जू थाना क्षेत्र के रणजीतपुरा में आठवीं बोर्ड परीक्षा देने गई नाबालिग बालिका की दुष्कर्म के बाद की हत्या

हुए विरोध दर्ज कराया। वहीं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव डॉ. सीमा जैन ने बीकानेर जिले के बज्जू थाना क्षेत्र के रणजीतपुरा में एक नाबालिग बालिका के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घटना पर गहरा रोष जताया और निंदा की है।

उन्होंने कहा कि घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों का पुलिस की गिरफ्त से बाहर होना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। डॉ. जैन ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि एक मासूम के साथ इतनी बर्बरता हुई और प्रशासन अब तक ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है। आरोपियों को अविलम्ब गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की हिलाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। पीड़ित परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

एसपी कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए 10 टीमें घेरे जा रहे हैं। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल शव का पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ है। परिजनों से लगातार बर्ताव जारी है। पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। परिजनों ने दर्ज कराई एफआईआर में दुष्कर्म की आशंका भी जताई है। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा कि हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ था या नहीं।

इसके अलावा विधायक अंशुमान सिंह भाटी, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिरानाराम सिंघान और महेंद्र नरखलत भी मौके पर पहुंचे और घटना पर चिंता जताते

होली चंग धमाल आज से

नोखा, (कासं)। उत्तरदा बास स्थित होली टोली ग्रुप ने आगामी होली चंग धमाल कार्यक्रम को लेकर आज एक बैठक की। इस वार्षिक आयोजन की शुरुआत 24 फरवरी 2026 को रात 8:30 बजे से होगी और यह होली तक लगातार चलेगा।

ग्रुप के सदस्य भंवर बाहेती और सुनील भट्ट ने बताया कि उनका समूह हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। यह आयोजन नोखा शहर के निवासियों के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत है। चंग धमाल के मुख्य कलाकारों में श्याम भट्ट, सुरेन्द्र भट्ट, जीवन, दिनेश तापडिया, ललित डागा और मनोज राठी शामिल हैं। ये सभी कलाकार कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित हैं। बांसुरी वादक बासु पालीवाल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जिम्मा सुरेंद्र चारण, गौरी चंडक, सुभाष भट्ट संभालेंगे।

स्कूटी सवार युवक पर जानलेवा हमला

नोखा, (कासं)। नोखा थाना क्षेत्र में एक युवक पर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। हिम्मतसर के दुदास बास निवासी पवन राठी ने इस संबंध में नोखा थाने में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना 21 फरवरी की शाम करीब 6:30 बजे की।

■ जान से मारने की नीयत से लोहे के पाइप से पवन राठी पर वार किया

निवासी काकड़ा और एक अन्य व्यक्ति धारदार हथियार व लोहे के पाइप लेकर बाहर निकले। दिनेश सिंह ने जान से मारने की नीयत से लोहे के पाइप से पवन राठी पर वार किया, जिससे वह स्कूटी सहित नीचे गिर गए। पवन राठी ने भागकर पास के एक मकान में घुसकर अपनी जान बचाई। हमलावरों ने भी उन्हें मारने के लिए उस मकान में घुसने का प्रयास किया। हालांकि, पड़ोसियों को इकट्ठा होते देख सभी आरोपी अपनी गाड़ी सहित मौके से फरार हो गए।

राठी ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 21 फरवरी की शाम करीब 6:30 बजे अपनी स्कूटी से ट्यूशन पढ़ाने वाली मैडम को हिम्मतसर के नायकों के मोहल्ले में छोड़कर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी एक बिना नंबर की संकेत रिक्शेट डिजायर कार ने उनकी स्कूटी के आगे आकर रास्ता रोक लिया। कार से दिनेश सिंह उर्फ दिनेशा, जितेंद्र सिंह राजपूत निवासी हिम्मतसर, अमर सिंह, गजेन्द्र पारीक

नशा का असर, व्यक्ति को अपराध की दुनियां में धकेलता है : ऋषिराज सिंह

बीकानेर, (कासं)। राजकीय ड्रगर महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र के तत्वाधान में नशा मुक्ति पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में बीकानेर मूल के ऋषिराज सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक, केरल कैडर ने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि नशा व्यक्ति के मन-मस्तिष्क पर गहरा असर डालता है और उसे अपराध की दुनिया में धकेलता है। सिंह ने अपने व्याख्यान में जर्द, गुटखा, शराब और मोबाइल की लत से दूर करने के लिए कई सुझाव दिए। युवाओं में नशे का सबसे बड़ा कारण अभिभावकों की लापरवाही और अध्यापकों की अनदेखी बताया। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया और उन्हें नशा मुक्त जीवन जीने के लिए



बीकानेर के ड्रगर कॉलेज में नशा मुक्ति पर व्याख्यान देते प्राचार्य डॉ. राजेन्द्र पुरोहित व ऋषिराज सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक, केरल कैडर ने नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी।

प्रेरित किया। पूर्व डीजीपी ऋषिराज द्वारा प्राचार्य राजेन्द्र पुरोहित द्वारा नशे को महाविद्यालय में रोकने के लिए किए

गए प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. राजेन्द्र पुरोहित ने पूर्व डीजीपी ऋषिराज सिंह का

स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशा समाज को खोखला कर रहा है तथा हमारी संस्कृति को नष्ट कर

ओवरटेक में तीन गाड़ियां भिड़ी

श्रीगंगानगर, (कासं)। यहां नेशनल हाईवे-62 पर सोमवार सुबह तेज स्पीड और ओवरटेक के चक्कर में तीन गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इस हादसे में दो रेलवे पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया।

- देशभर से आये 87 किसानों तथा पशुपालकों को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया
- प्रशिक्षण में किसानों और पशुपालकों को भेड़ एवं बकरी पालन के वैज्ञानिक तरीके, पोषण, प्रबंधन के बारे में बताया गया

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ की ओर जा रही तीन तेज स्पीड गाड़ियां एक-दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थीं। सबसे आगे टोयोटा रूमियन चल रही थी। उसके पीछे मारुति रिक्शेट और सबसे पीछे महिन्द्रा एक्सयूवी थी। महिन्द्रा एक्सयूवी में रेलवे पुलिस फोर्स के 2 कांस्टेबल सवार थे। गांव तारखारवाली के पास स्विफ्ट कार ने आगे चल रही टोयोटा को ओवरटेक करने की कोशिश की। ठीक उसी समय पीछे से आ रही महिन्द्रा एक्सयूवी ने भी स्विफ्ट को ओवरटेक कर ले लिया। महिन्द्रा के ओवरटेक करते ही टोयोटा के ड्राइवर ने घबराहट में गाड़ी सड़क के नीचे उतार दी। इससे डरकर रिक्शेट कार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया और कार पलट गई। पीछे आ रही महिन्द्रा एक्सयूवी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में महिन्द्रा एक्सयूवी में सवार दोनों रेलवे पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

चोकला, मारवाडी भेड़ों की नस्लों के फार्मों, राजुवास बीकानेर के विभिन्न फार्मों का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान विभिन्न नस्लों से परिचित करवाते हुए वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन की जानकारी दी गई है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (इज्जतनगर) की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

आवारा कुत्तों के हमले में नीलगाय घायल

नोखा, (कासं)। चिताणा गांव की अमलाई नाड़ी स्थित स्कूल के पास आवारा कुत्तों के झुंड ने एक नील गाय पर हमला कर उसे घायल कर दिया। नीलगाय की आवारा सुनकर अमराराम जांगू और ओमप्रकाश भाभू मौके पर पहुंचे। उन्होंने साहस दिखाते हुए नील गाय को कुत्तों के चंगुल से बचाया। इसके बाद लक्ष्मण जांगू और किसनाराम जांगू की मदद से घायल नीलगाय को सुरक्षित स्थान पर लाया गया। नोखा बजरंग चिताणा को सूचना दी गई, जो डॉक्टर भावान शर्मा के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल नीलगाय का प्राथमिक उपचार कराया। बाद में वन विभाग की नोखा टीम को बुलाकर नीलगाय को उनके सुपुर्द कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के पास आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे स्कूल आने-जाने वाले छात्र भी भयभीत रहते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और बच्चों की सुरक्षा बनी रहे।

थम्भ पूजन से पारंपरिक होली की शुरुआत

- फाग, रममत, गेर और स्वांग से सजी उत्सव की श्रृंखला

पूर्णमल की रममत, भट्टड़ों के चौक में स्वांग मेहरी रममत, लक्ष्मीनाथ मंदिर में फूलों की होली। 27 फरवरी को गेर, फागोत्सव और पारंपरिक रममत, ब्यास जाति की गेर, धरणीधर मंदिर में फागोत्सव, कीकाणी ब्यासों के चौक में जमनादास कल्ला रममत, बारह गुवाड़ में दाऊजी महाराज स्वांग व मेहरी रममत। 28 फरवरी को खेल, धमाल तथा हर्षों और ब्यासों के बीच पानी डोलची खेल, आचार्य चौक में अमर सिंह राठीडू रममत, मरुनायक चौक में हड़ाक मेहरी रममत, जस्सूर गेट पर चंग धमाल, नत्थूसर गेट के अंदर फागोत्सव रथ यात्रा, बारह गुवाड़ चौक में नोटकी शहजादी रममत।

एक मार्च करे बारह गुवाड़ में हड़ाक मेहरी रममत, दो को होलिका दहन, 3 मार्च को घुलंदी (रंगोत्सव)। यहां हर रोज जस्सूर गेट के बाहर, नत्थूसर गेट, बड़ा बाजार, गंगशहर में चंग की धमाल दिखाई देगी।

बीकानेर, (कासं)। मरुधरा की सांस्कृतिक पहचान बनी बीकानेर की पारंपरिक होली की शुरुआत सोमवार को परकोटे के भीतर विभिन्न चौकों में थम्भ पूजन के साथ हो गई। परंपरा के अनुसार मोहल्लों के चौक के बीच लकड़ी का थम्भ स्थापित कर विधिवत पूजा की गई। इसी के साथ शहर में फाग, रममत, गेर और स्वांग से सजी उत्सव की श्रृंखला शुरू हो गई है, जो 3 मार्च तक जारी रहेगी।

नहरबंदी से बीकानेर में जल संकट के आसार!

- पांच अप्रैल से थमैगी सप्लाई, 30 दिन जलाशयों के भरसे रहेगा शहर

टाइम टेबल जारी करेगा और संभव है कि दो दिन में एक बार पानी दिया जाए। पिछली बार भी विभाग ने शहर को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर ओड-इवन तरीके से जलापूर्ति की थी।

ध्यान में रखते हुए बीछवाल और शोभासर स्थित जलाशयों को भरने की तैयारी की जा रही है। नहरबंदी को लेकर पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नहरबंदी के दौरान पंजाब और राजस्थान में नहरों की मरम्मत का कार्य होगा। मुख्य नहर से लेकर मोर्चों तक की मरम्मत की जायेगी। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों ने विशेष बजट भी जारी किया है। नहरबंदी के दौरान बीकानेर शहर में पानी की आपूर्ति कम कर दी जायेगी। जलदाय विभाग नया

बाँधवाल जलाशय में वर्तमान में करीब 2500 मीट्रिक लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है, जिससे लगभग 45 दिन तक जलापूर्ति संभव है। हालांकि जलाशय में मिट्टी जमी होने और पूरी क्षमता से नहीं भर पाने की स्थिति में आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। नहरबंदी की अवधि बढ़ने की आशंका के चलते विभाग पहले से ही एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दे रहा है। इसका सबसे अधिक असर कच्ची बस्तियों पर पड़ता है, जहां लोगी स्तिमा मात्र में ही पानी संग्रह कर पाते हैं।

अवैध देसी कट्टे सहित दबोचा

सूरतगढ़, (कासं)। सरदर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध 315 बोर देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने यह कार्रवाई गश्त के दौरान साहूवाला रोड पर की। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना के उप निरीक्षक संतराम धायल ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत वे अपनी टीम के साथ सरदारगढ़ लिंक रोड से साहूवाला रोड पर गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस वाहन को देखकर एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस टीम ने उसे काबू किया और भागने का कारण पूछा। व्यक्ति घबरा गया और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान मुस्से खां बताया।

सार-समाचार

अपशिष्ट के निस्तारण का प्रशिक्षण



पशुधन निरीक्षकों को पशु जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के उचित प्रबंधन एवं निस्तारण का प्रशिक्षण दिया।

बीकानेर, (कासं)। पशु जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट निस्तारण तकनीकी केंद्र, राजुवास बीकानेर द्वारा बीकानेर संभाग के विभिन्न पशु चिकित्सालयों व पशु उपकेन्द्रों पर कार्यरत पशुधन निरीक्षकों का जैव अपशिष्ट के उचित प्रबंधन और निस्तारण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. कुलदीप चौधरी अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, क्षेत्र बीकानेर ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पशुओं के रोग निदान और उपचार कार्य में चिकित्सकीय अपशिष्ट का सही निस्तारण मानव और पशु जात के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए कार्यों को अन्य पशु चिकित्सकों, पशुधन सहायकों, संबंधित स्टाफ एवं प्रयोगशाला सहायक तक जन जागरूकता के रूप में पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए केन्द्र की प्रमुख अन्वेषक डॉ. दीपिका धुड़िया ने कहा कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के उचित निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रति जागरूकता वर्तमान परिपेक्ष में अति आवश्यक हो गई है। पशुचिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को इसका प्रायोगिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ताकि वे स्वयं को एवं समाज को संक्रामक बीमारियों के प्रकोप से बचा सके तथा वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकें। केन्द्र के सह-अन्वेषक डॉ. देवेन्द्र चौधरी ने पशु जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के पृथक्करण का प्रायोगिक विवरण दिया एवं डॉ. वैशाली, सहायक आचार्य ने पशु जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। इस प्रशिक्षण समारोह में डॉ. हेमलता का सहयोग रहा। प्रशिक्षण के समापन पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

‘अवैध भूजल दोहन को रोकें’



एडीएम सिटी रमेश देव ने अवैध भूजल दोहन की रोकथाम के लिए सलाहकार समिति की बैठक ली।

बीकानेर, (कासं)। जिले में अवैध भूजल दोहन की रोकथाम के संबंध में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव एवं उपखंड अधिकारी महिमा कसाना की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में भूजल विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं रीको सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण केन्द्रीय बैच, भोपाल के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे अवैध भूजल दोहन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम द्वारा बिना अनुमति प्राप्त संचालित टयूबवेल/बोरवेल से किए जा रहे अवैध भूजल दोहन को रोकने हेतु भूजल निकासी संरचनाओं को अविलम्ब सोल करने एवं उनका विद्युत संबंध को अविलम्ब विच्छेद की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। भविष्य में नए विद्युत कनेक्शन प्रदान करते समय संबंधित औद्योगिक इकाईयों से यह सुनिश्चित कराया जाए कि वे अवैध भूजल दोहन नहीं करेंगे। साथ ही संबंधित विभाग से भूजल आपूर्ति हेतु अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके लिए अनिवार्य रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के समस्त संबंधित उपखण्ड अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया कि जिले में कहीं भी अवैध भूजल दोहन किया जाना पाया जाता है, तो अवैध भूजल दोहन के विरुद्ध निरंतर निगरानी एवं प्रतिन कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 से 21 के प्रावधानों के तहत कठोर कदम उठाए जायेंगे।

जिला अस्पताल डिजिटल होगा

बीकानेर, (कासं)। एसडीएम जिला अस्पताल को पूर्ण रूप से डिजिटल करने की तैयारी चल रही है। यह शत प्रतिशत डिजिटल होने वाला प्रदेश का पहला जिला अस्पताल हो सकेगा। अभी तक ये सुविधा बड़े प्राइवेट व कॉर्पोरेट अस्पतालों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र में केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थानों जैसे एम्स, ईएसएस, रेलवे के अस्पतालों में मिल रही थी। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जिला अस्पताल में मरीजों का समस्त कार्य आयुष्मान भारत (आभा) आईडी के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए एआर सरकार द्वारा संचालित आईएचएमएस पोर्टल को आभा आईडी से जोड़ा जा चुका है, जिससे आईएचएमएस पोर्टल के साथ-साथ आचार्य कार्ड व मोबाइल नंबर से ही मरीजों को आभा आईडी बनाई जा सकेगी और मरीजों को स्कैन एंड शेयर की सुविधा मिल सकेगी। इससे मरीज के अपडेटेड बुक करा सकेगा। मरीज को इन सभी प्रक्रियाओं की समय-समय पर अपडेट की जानकारी रिजिटर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगी। अंत में मरीज को मिलने वाले उपचार की कीमत की भी जानकारी मैसेज और पोर्टल पर मिलेगी। मरीजों के इलाज का संपूर्ण विवरण रिजल टाइम में रिकॉर्ड होगा।

क्रमांक: नियम/2026/	सार्वजनिक आपूर्ति सूचना	दिनांक: 23-2-2026
सर्वे साधारण को सूचनायें प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में गिरावणी पधुखण्ड वाके चक 6 इ छोटी परख्य 11 के किलान 1 में पधुखण्ड संख्या 74 का भाग 12-0' गणा 60-0' फीट के नियम/पट्टा हीन आलेख/ श्री राजेश कुमार पुर और श्री रामचन्द्रा एडु श्रीमती कमलेश्वरि पानी श्री अरुणोदी शर्मा श्री रायचन्द्रा एडु श्रीमती कमलेश्वरि प्रसन्ती श्री अरुणी लाल निवासी गली नं 03, भाभू कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी भी कृषि आपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड. भाषु कौलानं, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकब के संबंध में किसी को कोई अपूर्ति हो तो यह अपने आपूर्ति पत्र समत आपूर्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय कालियन में करनी 11 में प्रस्तुत कर सक्ता है अन्यथा यह विषयक प्रसन्न अतिरिक्त के उपरान्त अवैध है। श्री राजेश कुमार पुर, श्री ड		